दिनांक 03.01.2020 दोपहर 11:30 बजे श्री पंकज यादव, भा॰प्र॰से॰, मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला की अध्यक्षता में प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरुग्राम क्षेत्र के अधिकारियों व मुख्यालय के अधिकारियों साथ कि गई समीक्षा बैठक की कार्यवाही। बैठक में शामिल अधिकारियों की सूचि पताका (क) पर मौजूद है।

बैठक की शुरूआत में प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरूग्राम द्वारा माननीय मुख्य प्रशासक महोद्य का तथा सभी अधिकारियों का गुरूग्राम में पहुँचने पर स्वागत किया गया। तत्पश्चात निम्न कार्य सूचि की समीक्षा की गई तथा मुख्य प्रशासक महोद्य द्वारा निम्न निर्देश पारित किऐ गऐ।

कार्य सूचि (एंजेडा) सख्या1:– विस्थापितों (Oustees) को प्राधिकरण की निति के तहत भूखण्ड़ ऑबटन करने बारे।

प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरूग्राम द्वारा माननीय मुख्य प्रशासक महोद्य के संज्ञान में लाया गया कि सम्पदा कार्यालय–1 में कुल 294, सम्पदा कार्यालय–2 में कुल 622 व सम्पदा कार्यालय रेवाड़ी में कुल 233 विस्थापितों को प्राधिकरण की निति के तंहत भूखण्ड़ ऑबटन करने बारे प्रार्थना पत्र प्राप्त हुऐ है। इस संदर्भ में माननीय मुख्य प्रशासक महोद्य द्वारा सम्पदा आधिकारी–1 से यह पुछा गया कि दिंसम्बर 2018 में कुल कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुऐ थे व इनका ड्रॉ 1 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी नहीं किया गया।

इस संदर्भ में सम्पदा आधिकारी–1 व 2 द्वारा यह बताया गया कि प्रार्थना पत्र मुख्यालय स्तर पर सलाहा के लिए भेज रखे है जहां से रिर्पोट प्राप्त नहीं हुई है । माननीय मुख्य प्रशासक महोद्य द्वारा इस सर्दभ में गहन खेद प्रकट किया गया तथा निम्न निर्देशित किया गया कि:–

- सभी सम्पदा अधिकारी अपने अधीन 3 अधिकारी/कर्मचारी की एक टीम बनाये जो कि 15 दिन के अन्दर यह सुनिश्चित करेगे की आवेदक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की निति दिनांक 11.08.2016 के अनुसार विस्थापित कोटे के अन्तर्गत प्लॉट लेने के योग्य है या नही है।
- सभी सम्पदा अधिकारी यह भी विवरण तैयार करे कि साथ लगते सैक्टर में कुल कितने प्लाट विस्थापितो के लिए उपलब्ध है। तथा अनूसार सम्बन्धित मामलों का निपटारा विस्थापित निति के तहत पारदर्शी तरीके से करे। इस सम्बन्ध में यह भी निर्दशित किया गया कि जैसा की मंत्रणा हुई है समाचार पत्र में क्लाशिफाईड विज्ञापन दे कर सम्बन्धित सैक्टर के विस्थापितों को सुनवाई के लिए भी मौका दें।

कार्यवाही की जानी है:–(प्रशासक गुरूग्राम,सभी सम्पदा अधिकारी गुरूग्राम क्षेत्र व अधीक्षक (अर्बन शाखा मुख्यालय)

कार्य सूचि (एंजेडा) सख्या 2.:–वैकल्पिक (Alternative) भूखण्ड़ ऑबटन करने बारे।

इस संदर्भ में माननीय मुख्य प्रशासक महोद्य द्वारा यह पुछा गया कि क्या सम्पदा कार्यालायों के अन्दर कोई ऐसा रिकार्ड उपलब्ध है कि वैकल्पिक प्लॉट देने के लिए कुल कितने प्लॉट उपलब्ध है। मानर्नीय कोर्ट के अन्दर वैकल्पिक प्लॉट से सम्बन्धित कुल कितने केस विचाराधीन है। प्रशासक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरुग्राम द्वारा माननीय मुख्य प्रशासक महोद्य के संज्ञान में लाया गया कि सम्पदा कार्यालय–1 में कुल 51, सम्पदा कार्यालय–2 में कुल 170 व सम्पदा कार्यालय रेवाड़ी कुल 105 वैकल्पिक प्लॉट बारें प्रार्थना पत्र प्राप्त हुऐ है। इस सम्बन्ध में सम्पदा अधिकारियों द्वारा यह अवगत करवाया गया की प्रार्थना पत्र अनुसार उनके सम्पदा क्षेत्र में वैकल्पिक प्लॉट उपलब्ध नहीं है तथा अनुसार माननीय मुख्य प्रशासक महोद्य द्वारा निम्न निर्देशित किया गया:–

Scanned with CamScanner

- सभी सम्पदा अधिकारी यदि प्लॉट उपलब्ध नही है तो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, कि निति दिनांक 18.02.2013 के तहत इस खेद के साथ की प्लॉट उपलब्ध नहीं होने के कारण आपकी राशि ब्याज सहित मूलरूप से वापिस की जा रही है।
- यदि माननीय कोर्ट भूमि छोडने के लिए कोई आदेश पारित करता है तो तथा किसी भी आवेदन के अनुरूप सम्बन्धित सैक्टर का ड्रॉ नही हुआ है तो पैसे वापिस करने के लिए केस को सभी तथ्यों सहित मुख्यालय भेजे।
- यदि वैकल्पिक (Alternative) भूखण्ड़ ऑबटन कर दिया गया है तथा सम्बन्धित व्यक्ति को कब्जा नहीं मिल रहा है तो सम्बन्धित अधिकारी मौके का मुआयना करे। सम्पदा अधिकारी व प्रशासक अपनी–अपनी निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करे जिसमें आधे पेज पर सम्बन्धित प्लॉट कि फोटो लगी हो तथा अनुसार कार्यावाही करें।

कार्यवाही की जानी हैः–(प्रशासक गुरूग्राम,सभी सम्पदा अधिकारी गुरूग्राम क्षेत्र व अधीक्षक (अर्बन शाखा मुख्यालय)

कार्य सूचि (एंजेडा) सख्या 3.विकास कार्यो का निरिक्षण बारे

1. मुख्य प्रशासक द्वारा कंट्री क्लब गुरूग्राम में चल रहे विकास कार्यों का भी जायजा लिया और भवन को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया क्योंकि इसमें पहले ही देरी हो चुकी है। इसी तरह तथा मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) को निर्देशित किया गया कि जैसा कि मत्रणां हुई है इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए निविदा लगाने का कार्य बिना समय गवाऐ पूरा करे।

2. माननीय मुख्य प्रशासक महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि (ह.श.वि.प्रा.) की वित्तिय हलात को देखते हुऐ सैक्टर –53 गुरूग्राम में 10 एकड़ जमीन जो कि कल्चरल सेंटर के लिए नगर निगम गुरूग्राम को हस्तातरित कि गई थी उसकी किमत व निर्माण कार्य की लागत भी नगर निगम गुरूग्राम से तुरंत ली जाऐं।

3. माननीय मुख्य प्रशासक महोद्य द्वारा सुझाव दिया गया कि ऑटो मार्केट सैक्टर–10 में प्रस्तावित सी0 व डी0 कचरे के प्लॉट को नगर निगम गुरूग्राम को सौपा जा सकता है ताकि ऑटो मार्केट में दुकानों की नीलामी के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सके तथा इस सम्बन्ध में सम्पदा अधिकारी–1 को आवश्यक कार्यावाही के लिए निर्देश जारी किये गऐं।

4. माननीय मुख्य प्रशासक महोद्य निर्देशं जारी किये गऐं की सैक्टर–29 में सी0 व डी0 कचरे के प्लॉट को ह.श.वि.प्रा. की अतिक्रमण ब्रॉच द्वारा नगर निगम गुरूग्राम के सहयोग से तुरंत रोका जाऐं।

कार्यवाही की जानी हैः–(मुख्यकार्यकारी अभियन्ता (मुख्यालय), अधीक्षण अभियन्ता गुरूग्राम प्रशासक गुरूग्राम,सम्बन्धित सम्पदा अधिकारी गुरूग्राम क्षेत्र

कार्य सूचि (एंजेडा) सख्या 4.कोर्ट केसो कि स्थिति का अवलोकन बारे।

मुख्य प्रशासक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि माननीय कोर्ट में जो अपीले डाली जाती है सम्बन्धित वकील द्वारा माननीय कोर्ट में सही तरीके से जिरह/बहस नही कि जाती। इस सम्बन्ध में मुख्य प्रशासक द्वारा निम्न निर्देशित किया गयाः–

- यदि कोई वकील 50 प्रतिशत केसों में स्टे नही लेकर आता तो उस भविष्य में कोई भी केस न दिया जावे तथा उसे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, के लिस्ट मे भी भविष्य के लिए

Scanned with CamScanner

ब्लेकलिस्ट कर दिया जावे। इस सम्बन्ध में यह भी निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित वकील माननीय कोर्ट में छोटी अवधी न लेकर कम से कम 6 महीने की लम्बी तिथि लेवे।

कार्यवाही की जानी है:—जिला न्यायवादी (मुख्यालय), प्रशासक गुरूग्राम, सम्बन्धित सम्पदा अधिकारी गुरूग्राम क्षेत्र

- माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसार यदि मुआवजा राशि की बढौतरी की गई है तथा भुगतान से सम्बधित केस कोर्ट में लंबित है तथा माननीय न्यायालय ब्याज की राशि का भुगतान करने के लिए आदेश पारित किया गया है तथा किसान सम्बन्धित भूमि को जोत भी रहा है तो सम्बन्धित प्रशासक भुगतान करने से पहले तथ्यों को पूर्ण रूप से जाँच ले और यदि किसान भूमि को जोत रहा है तो तथाअनुसार माननीय न्यायालय को अवगत करवाऐं तथा ब्याज कि राशि का भुगतान न किया जाऐं।

कार्यवाही की जानी है:— प्रशासक गुरूग्राम, सम्बन्धित सम्पदा अधिकारी गुरूग्राम क्षेत्र

- प्रायः यह भी देखने में आया है कि सम्बन्धित अधिकारी न्यायालय मे नीचे के कर्मचारी को जैसे की पटवारी इत्यादि को भेज देते है। पटवारी के दिऐ गऐ विवरण अनुसार माननीय न्यायालय आदेश पारित कर देता है अतः यह सख्त आदेश दिया जाता है कि कोई भी कर्मचारी भविष्य में बगैर अनुमति के अपनी स्टेटमेंट नहीं देगा सिर्फ सामान्य स्टेटमेंट को छोड कर।
- प्रायः यह भी देखने में आया है किसी भूमि पर मुकदमेबाजी छोटे से टूकडे पर होती है लेकिन कार्यालय कहता है कि माननीय न्यायालय स्टें प्राप्त किया हुआ है जबकि वास्तविक स्थिति कुछ और होती है। अतः सम्बन्धित अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि माननीय न्यायालय के आदेशो को अच्छी तरह से अध्ययन कर ले। साईट पर जाकर वास्तविक स्थिति का अध्ययन करे ताकि कानून अनुसार अतिक्रमण कम हो।

कार्यवाही की जानी है:— प्रशासक गुरूग्राम, भूमि अर्जन अधिकारी गुरूग्राम व सम्बन्धित सम्पदा अधिकारी गुरूग्राम क्षेत्र।

प्रायः यह भी देखने में आया है कि कर्मचारी छोटे—छोटे मुदों को भी माननीय न्यायालय मे लेकर जाते है जबकि इन मुदों को कार्यालय सत्र पर ही ठीक किया जा सकता है अतः सम्बन्धित अधिकारियों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे इस प्रकार के मामलों में कर्मचारियों की व्यक्तिगत सुनवाई करे और यदि नियमा अनुसार कुछ राहत दे सकतें है तो तथाअनुसार कार्यावाही करे ताकि अनावश्यक कोर्ट कार्यवाही से बचा जा सके।

कार्यवाही की जानी है:— सचिव मुख्यालय, प्रशासक गुरूग्राम, मुख्यकार्यकारी अभियन्ता (मुख्यालय), अधीक्षण अभियन्ता गुरूग्राम,सम्बन्धित सम्पदा अधिकारी गुरूग्राम क्षेत्र।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न कार्य सूचि भी विचार विर्मश किये गऐ।

1. मुख्य प्रशासक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि गुरूग्राम क्षेत्र में बहुत सी सम्पतियाँ उपलब्ध है लेकिन उसको बेचने के लिएं कोई भी कार्यावाही सम्पदा अधिकारियों द्वारा नही की जा रही है। मुख्य वित नियंत्रक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (ह.श.वि.प्रा.) द्वारा भी यह बताया गया है कि सैक्टर—1,2,3,47,49,50,58,59 में कुछ छोटी—छोटी पोक्ट पर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है लेकिन फिर भी बेच नहीं पाऐं।

Scanned with CamScanner

- इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य प्रशासक महोदय द्वारा यह निर्देशित किया गया कि सभी सम्पदा अधिकारी जो भूमि विवाद मुक्त है उसकी लिस्ट तैयार कर लें। नीलामी के लिए मुख्यालय द्वारा पुस्तक तैयार की जा रहीं है तथा अनुसार सम्बधित भूमि की नीलामी के लिए विज्ञापन जनवरी माह के अन्त में निकल जाना चाहिए।

2. माननीय मुख्य प्रशासक महोदय द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि भुमि खाली पडी है जिसको शरारती तत्वों द्वारा कब्जा कर रखा है तथा प्लॉट धारकों ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, भूमि पर पार्किंग की अवैध व्यवस्था कि गई है।

- इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य प्रशासक महोदय द्वारा यह निर्देशित किया गया कि सभी सम्पदा अधिकारी जहां पर शरारती तत्वों द्वारा अवैध कब्जा किया हुआ है उन लोगों के खिलाफ प्रार्थमिक रिर्पाट दर्ज करवाई जावें तथा जिस भी प्लॉट धारकों ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण,की भूमि पर पार्किंग की अवैध व्यवस्था कि गई है उन लोगो पर जूर्माना लगाया जावे व राशि वसुल कि जावें।

कार्यवाही की जानी हैः– प्रशासक गुरूग्राम, सम्बन्धित सम्पदा अधिकारी गुरूग्राम क्षेत्र।

3. माननीय मुख्य प्रशासक महोदय द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि शराब के ठेको के पास भी अहाता के साथ–साथ भी अवैध रूप से (ह.श.वि.प्रा.) की भूमि को ठकेदारों द्वारा प्रयोग में लिया जा रहा लेकिन सम्बन्धित सम्पदा अधिकारीयों द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं कि जा रही है।

इस सम्बन्ध में यह निर्देशित किया गया है कि वह साईट पर जा कर पमाईश करे और जहां पर अवैध रूप से (ह.श.वि.प्रा.) की भूमि को ठकेदारों द्वारा प्रयोग में लिया जा रहा निति अनुसार ब्याज सहित जुर्माना की राशि वसुल करे।

कार्यवाही की जानी हैः– प्रशासक गुरूग्राम, सम्बन्धित सम्पदा अधिकारी गुरूग्राम क्षेत्र।

5. मुख्य वित नियंत्रक, (ह.श.वि.प्रा.) द्वारा यह बताया गया कि सैक्टर–53 व 54 में ह.श.वि.प्रा. द्वारा फलैटस बनाये जाने चाहिए।

- माननीय मुख्य प्रशासक महोदय द्वारा यह निर्देशित किया गया कि प्रशासक,(ह.श.वि.प्रा.) गुरूग्राम कम से कम 10 एकड साईट देखे जिसके अन्दर 3 व 4 बी0 एच0 के0 व 3 व 4 बी0 एच0 के0 के साथ सेवक रूम बनाया जा सके। इस सम्बन्ध में प्रशासक 7 दिन के अन्दर– अन्दर मुख्य कार्यालय पर अपनी रिपोर्ट भेजे।

6. मुख्य वित नियंत्रक, (ह.श.वि.प्रा.) द्वारा बताया गया कि प्रशासक, ह.श.वि.प्रा., गुरूग्राम द्वारा विभिन्न सैक्टरों के अतिरिक्त मूल्य का पुनः निर्धारण अनुदेश संख्या 63 दिनांक 22.08.2019 के अनुसार कराया जाना था इस बारे में मुख्य प्रशासक, महोदय द्वारा दिनांक 22.11.2019 को अर्धसरकारी पत्र भी जारी किया जा चुका है जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि यह कार्यवाही 06.12.2019 तक पूर्ण कर ली जाए, परन्तु अभी तक प्रशासक, ह.श.वि.प्रा. से कोई गणना प्राप्त नहीं हुई है।

Scanned with CamScanner

- विचार–विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि यह कार्य अनुदेश संख्या 63 में दिए गए आदेशों अनुसार दिनांक 15.01.2020 तक पूरा किया जाए तथा पूर्ण गणना की रिर्पोट मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को भेजी जाए।

7. मुख्य वित नियंत्रक,द्वारा यह भी बताया गया है कि जिन कोर्ट केसों प्रार्थी द्वारा कियान्वयन दायर कर रखी हैं उनमें सूचना निर्धारित प्रोफार्मा में भेजी जानी थी जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

- माननीय मुख्य प्रशासक महोद्य द्वारा यह निर्देशित किया गया कि यह सूचना अगले सात दिन के भीतर मुख्यालय को उपलब्ध करवा दी जाए तथा जितने भी इस प्रकार के भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित मामले हैं उनमें मुख्यालय द्वारा जारी पत्र अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

8. मुख्य वित नियंत्रक, द्वारा बताया गया है कि नगर एवं ग्राम योजना विभाग द्वारा ई.डी.सी. कार्यों की लेखा परीक्षण करवाई जा रही है जिस के लिए वर्ष 2000 से 2019 तक के भूमि अधिग्रहण जोकि ई.डी.सी. कार्यों के लिए की गई हो, कि सूचना मांगी गई थी जोकि अभी तक लंबित हैं।

- इस बारे में यह निर्णय लिया गया है कि भूमि अर्जन अधिकारी, गुरूग्राम यह सूचना अगले सात दिन में तैयार करवाते हुए प्रशासक, गुरूग्राम के माध्यम से मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

9. मुख्य वित नियंत्रक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा सूचित किया गया है वर्ष 2018–2019 के सी.ए.जी. पैरा के उत्तर भी गुरूग्राम के विभिन्न कार्यालयों में लंबित हैं।

प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरूग्राम से अनुरोध किया गया है कि इन मामलों को निजी तौर पर देखते हुए रिपोर्ट तुरंत भिजवाएं।

कार्यवाही की जानी हैः– प्रशासक गुरूग्राम, भूमि अर्जन अधिकारी गुरूग्राम व सम्बन्धित सम्पदा अधिकारी गुरूग्राम क्षेत्र।

10. माननीय मुख्य प्रशासक महोद्य द्वारा यह सूझाव दिया गया कि विभाग कि वित्तिय स्थिति को देखते हुऐ सैक्टर–29 जिमखाना, क्लब की पुस्तकालय, स्पोर्ट्स को कुछ [illegible] क्योंकि भूमि में स्थानांतरित किया जा सकता है अत्य यह निर्देशित किया गया कि उक्त स्थल की प्रयोग क्षमता का पता किया जाना चाहिए ताकि विभाग की वित्तिय स्थिति मजबूत हो सके।

11. गुरूग्राम व रेवाडी में बन रहे आशियाना योजना के तहत बन रहे ईडब्ल्यूएस फलैटस बारे मे चर्चा की गई तथा सम्बन्धित सम्पदा अधिकारी को निर्देश दिया गया कि सम्पदा अधिकारी जल्द से जल्द सम्बन्धित लाभार्थियो को सौंपने का कार्य करें।

अधीक्षण अभियन्ता गुरूग्राम द्वारा माननीय मुख्य प्रशासक महोद्य को अवगत करवाया गया कि पलवल व बहादुगढ़ डिवीजन के अन्दर उप मण्डल अधिकारी व कनिष्क अभियन्ता के पद रिक्त है। प्रशासक गुरूग्राम को यह निर्देशित

Scanned with CamScanner

किया गया है कि सम्पदा कार्यालयों या अन्य कार्यालयों से सम्बन्धित कर्मचारी को अतिरिक्त कार्यभार सौप दिया जावें।

कार्यवाही की जानी हैः– प्रशासक गुरूग्राम, भूमि अर्जन अधिकारी गुरूग्राम व सम्बन्धित सम्पदा अधिकारी गुरूग्राम क्षेत्र।

12. माननीय मुख्य प्रशासक महोदय द्वारा यह निर्देश दिया गया कि जिला नगर नियोजक व सम्पदा अधिकारी रेवाडी जल्द से जल्द सैक्टर–20 व 21 का ले–ऑउट योजना तैयार करे ताकि जल्दी से जल्दी भुखडों को फलौट किया जा सके।

कार्यवाही की जानी हैः– प्रशासक गुरूग्राम,जिला नगर नियोजक गुरूग्राम व सम्बन्धित सम्पदा अधिकारी गुरूग्राम क्षेत्र।

अन्त में प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरूग्राम द्वारा माननीय मुख्य प्रशासक महोदय का धन्यवाद किया गया तथा यह आश्वसत किया गया है कि माननीय मुख्य प्रशासक महोदय द्वारा जो दिशानिर्देश जारी किये गऐं है उनको पुर्ण किया जाऐगा।

Scanned with CamScanner

दिनांक 17.01.2020 दोपहर 12:30 बजे श्री पंकज यादव, भा०प्र०से०, मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला की अध्यक्षता में प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकूला क्षेत्र के अधिकारियों व मुख्यालय के अधिकारियों साथ कि गई समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

बैठक में शामिल अधिकारियों की सूचि पताका (क) पर मौजूद है।

बैठक की शुरूआत में प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकूला द्वारा माननीय मुख्य प्रशासक महोदय का तथा सभी अधिकारियों का पंचकूला में पहुँचने पर स्वागत किया गया। तत्पश्चात निम्न कार्य सूचि की समीक्षा की गई तथा मुख्य प्रशासक महोदय द्वारा निम्न निर्देश पारित किए गए। **कार्य सूचि (एंजेडा) सख्या1:– विस्थापितों (Oustees) को प्राधिकरण की निति के तहत भूखण्ड़ ऑबटन करने बारे।**

प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकूला द्वारा माननीय मुख्य प्रशासक महोदय के संज्ञान में लाया गया कि सम्पदा कार्यालय पंचकूला में कुल 237, अम्बाला में 28 नरयाणगढ में 8 जगादरी में 9 कुरक्षेत्र मे 5 कैथल में 38 करनाल में 134 व कुल 459 विस्थापितों को प्राधिकरण की निति के तहत भूखण्ड़ ऑबटन करने बारे प्रार्थना पत्र प्राप्त हुऐ है जबकि कुल 716 भूखण्ड का विज्ञापन दिया गया है। मामले को सक्षिप्त में विचार विर्मश किया गया तथा निम्न निर्देशित किया गया कि:–

- सभी सम्पदा अधिकारी अपने अधीन 3 अधिकारी/कर्मचारी की एक टीम बनाये जो कि 15 दिन के अन्दर यह सुनिश्चित करेगे की आवेदक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की नितियों के अनुसार विस्थापित कोटे के अन्तर्गत प्लॉट लेने के योग्य है या नही है।
- सभी सम्पदा अधिकारी सूचना संग्रह करने से पहले यह भी सूनिश्चित कर ले कि भूमि अधिग्रहण की धारा 4 व 6 की सूचना कब लागू की गई है व जमाबन्दी, खसरा न0, खेवट न0 के रिकार्ड का अनुसरण करते हुऐ विस्थापित कोटे की कुल प्लॉट की उपलब्धता निम्न प्रपत्र में विस्थापित कोटे के अन्तर्गत प्लॉट की निम्न सूचना संग्रह करे। सम्पदा अधिकारी सभी सूचनाओं सहित 1 सप्ताह के अन्दर–अन्दर अपनी रिपार्ट भेजे व सम्पदा अधिकारी कुरक्षेत्र,अम्बाला व जगादरी दिनांक 29.01.2020 को 12:00 बजे सम्बन्धित सूचनाओं सहित समीक्षा बैठक में उपस्थित हो।

सम्पदा कार्यालय का नाम ------------

प्लॉट का साईज

क्रम सख्या.	सैक्टर का नाम	ले–आऊट प्लान के तहत कुल प्लॉट की सख्यां	धरातल पर कुल प्लॉट की सख्यां	विस्थापित नितियों के तहत कुल प्लॉट की उपलब्धता	विस्थापित नितियों के तहत कुल प्लॉट का आवॅटन	विस्थापित नितियों के तहत शेष/उपलब्ध प्लॉट की सख्या	कुल कितने विस्थापितों को प्लॉट दिया जाना बनता है।	अन्य कोई टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7(5–6)	8	

- सभी सम्पदा अधिकारी यह विवरण भी तैयार करेगे कि पहले ही सम्बन्धित सैक्टर में विस्थापित नितियों के तहत कुल कितने प्लॉट का आवॅटन किया जा चुका है। तदपश्चात् मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी से विस्थापित कोटे के आवटन की सूचना प्राप्त करेगे ताकि दोनो सूचनाओं में किसी भी प्रकार का अन्तर न हो।

Scanned with CamScanner

- सभी सम्पदा अधिकारी यह भी विवरण तैयार करे कि साथ लगते सैक्टर में कुल कितने प्लाट विस्थापितो के लिए उपलब्ध है व प्लॉट को आवंटित करते समय मौके पर भूमि स्थल का जयाजा जरूर लें।
- इस सम्बन्ध में मंत्रणा के दौरान यह भी निर्देशित किया गया समाचार पत्र में क्लाशिफाईड विज्ञापन दे कर सम्बन्धित सैक्टर के विस्थापितों व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दें।
- सम्पदा अधिकारी कुरूक्षेत्र विस्थापितों से सम्बन्धित 75 प्रतिशत भूमि सत्यता जाँच करते हुऐं हिस्सा मुक्तकिला के रिकार्ड के अनुसार 7 दिन के अन्दर अपने रिर्पोट भेजेगा।

कार्यवाही की जानी है:–(प्रशासक पंचकुला सभी सम्पदा अधिकारी पंचकुला क्षेत्र व अधीक्षक (अर्बन शाखा मुख्यालय) व मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी पंचकुला।

<u>कार्य सूचि (एंजेडा) सख्या 2.:–वैकल्पिक (Alternative) भूखण्ड़ ऑबटन करने बारे।</u>

इस संदर्भ में माननीय मुख्य प्रशासक महोद्य द्वारा यह पुछा गया कि क्या सम्पदा कार्यालायों के अन्दर कोई ऐसा रिकार्ड उपलब्ध है कि वैकल्पिक प्लॉट देने के लिए कुल कितने प्लॉट उपलब्ध है। माननीय कोर्ट के अन्दर वैकल्पिक प्लॉट से सम्बन्धित कुल कितने केस विचाराधीन है। प्रशासक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला द्वारा माननीय मुख्य प्रशासक महोद्य के संज्ञान में लाया गया कि सम्पदा कार्यालय पंचकुला में कुल 11, अम्बाला में 8, नारायणगढ में 33, कुरूक्षेत्र मे 2,कैथल में 6, वैकल्पिक प्लॉट उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में सम्पदा अधिकारियों द्वारा यह अवगत करवाया गया की प्रार्थना पत्र अनुसार उनके सम्पदा क्षेत्र में वैकल्पिक प्लॉट उपलब्ध नहीं है तथा अनुसार माननीय मुख्य प्रशासक महोद्य द्वारा निम्न निर्देशित किया गया:–

- यदि वैकल्पिक प्लॉट उपलब्ध नहीं है तो सभी सम्पदा अधिकारी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, कि निति दिनांक 18.02.2013 के तहत इस खेद के साथ अलाटी को अवगत कराते हुए कि प्लॉट उपलब्ध न होने के कारण खेद व्यक्त करते हुए उसकी राशि वापिस करेंगे।
- यदि माननीय कोर्ट भूमि छोडने के लिए कोई आदेश पारित करता है तो तथा किसी भी आवेदन के अनुरूप सम्बन्धित सैक्टर का ड्रॉ नही हुआ है तो पैसे वापिस करने के लिए केस को सभी तथ्यों सहित मुख्यालय भेजे।
- सभी सम्पदा अधिकारी यह विवरण तैयार करेगे की माननीय न्ययालयों में वैकल्पिक भूखण्डों से सम्बन्धित कुल कितने केस विचारधीन है वर्तमान स्थिति के साथ रिपोर्ट तैयार करके मुख्यालय को भेजगें।
- यदि वैकल्पिक (Alternative) भूखण्ड़ ऑबटन कर दिया गया है तथा सम्बन्धित व्यक्ति को कब्जा नहीं मिल रहा है तो सम्बन्धित अधिकारी मौके का मुआयना करे। सम्पदा अधिकारी व प्रशासक अपनी–अपनी निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करे जिसमें आधे पेज पर सम्बन्धित प्लॉट कि फोटो लगी हो उसके अनुसार कार्यावाही करें।
- सम्पदा अधिकारी पंचकूला सैक्टर–26 के वैकल्पिक (Alternative) भूखण्डों से सम्बन्धित कितने भूखण्ड उपलब्ध है। क्या वैकल्पिक (Alternative) भूखण्डों के अतिरिक्त कोई अन्य इस सैक्टर में कोई विवाद तो नहीं है के सम्बन्ध में अपनी विस्तृत टिप्पणी तैयार करके मुख्यालय को भेजेगा।

कार्यवाही की जानी है:–(प्रशासक पंचकूला सभी सम्पदा अधिकारी पंचकूला क्षेत्र व अधीक्षक (अर्बन शाखा मुख्यालय)

Scanned with CamScanner

कार्य सूचि (एंजेडा) सख्या 3.विकास कार्यो का निरिक्षण बारे

1. मुख्य प्रशासक द्वारा विकास कार्यों का भी जायजा लिया तथा मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) को निर्देशित किया गया कि सभी कार्य निर्धारित समय पर पूरा करे।

कार्यवाही की जानी है:–(मुख्यकार्यकारी अभियन्ता (मुख्यालय), पंचकुला प्रशासक पंचकुला सम्बन्धित सम्पदा अधिकारी पंचकूला क्षेत्र।

कार्य सूचि (एंजेडा) सख्या 4.कोर्ट केसो कि स्थिति का अवलोकन बारे।

मुख्य प्रशासक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि माननीय कोर्ट में जो अपीले डाली जाती है सम्बन्धित वकील द्वारा माननीय कोर्ट में सही तरीके से जिरह/बहस नही कि जाती। इस सम्बन्ध में मुख्य प्रशासक द्वारा निम्न निर्देशित किया गया:–

- यदि कोई वकील 50 प्रतिशत केसों में स्टे नही लेकर आता तो उसे भविष्य में कोई भी केस न दिया जावे तथा उसे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, की लिस्ट मे भी भविष्य के लिए ब्लेकलिस्ट कर दिया जावे। इस सम्बन्ध में यह भी निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित वकील माननीय कोर्ट में छोटी अवधी न लेकर कम से कम 6 महीने की लम्बी तिथि लेवे।

कार्यवाही की जानी है:–जिला न्यायवादी (मुख्यालय), प्रशासक पंचकूला, सम्बन्धित सम्पदा अधिकारी पंचकुला क्षेत्र

- माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसार यदि मुआवजा राशि की बढौतरी की गई है तथा भुगतान से सम्बधित केस कोर्ट में लंबित है तथा माननीय न्यायालय में ब्याज की राशि का भुगतान करने के लिए आदेश पारित किया गया है और किसान सम्बन्धित भूमि को जोत भी रहा है तो सम्बन्धित प्रशासक भुगतान करने से पहले तथ्यों को पूर्ण रूप से जाचँ ले और यदि किसान भूमि को जोत रहा है तो तथाअनुसार माननीय न्यायालय को अवगत करवाऐं व ब्याज कि राशि का भुगतान न किया जाऐं।

कार्यवाही की जानी है:– प्रशासक पंचकूला, सम्बन्धित सम्पदा अधिकारी पंचकूला क्षेत्र

- प्रायः यह भी देखने में आया है कि सम्बन्धित अधिकारी न्यायालय मे नीचे के कर्मचारी को जैसे की पटवारी इत्यादि को भेज देते है। पटवारी के दिऐ गऐ विवरण अनुसार माननीय न्यायालय आदेश पारित कर देता है अतः यह सख्त आदेश दिंया जाता है कि कोई भी कर्मचारी भविष्य में बगैर अनुमति के अपनी स्टेटमेंट न्यायालय मे नहीं देगा सिर्फ सामान्य स्टेटमेंट को छोड कर।
- प्रायः यह भी देखने में आया है किसी भूमि पर मुकद्दमेबाजी छोटे से टुकड़े पर होती है लेकिन कार्यालय कहता है कि माननीय न्यायालय ने स्टें प्रदान किया हुआ है जबकि वास्तविक स्थिति कुछ और होती है। अतः सम्बन्धित अधिकारियों को यह निर्देश दिया जाता है कि माननीय न्यायालय के आदेशो को अच्छी तरह से अध्ययन कर ले। साईट पर जाकर वास्तविक स्थिति का अध्ययन करे ताकि कानून अनुसार अतिक्रमण कम हो।

कार्यवाही की जानी है:– प्रशासक पंचकूला भूमि अर्जन अधिकारी पंचकुला व सम्बन्धित सम्पदा अधिकारी पंचकूला क्षेत्र।

2016 from 10.30 A. M

Scanned with CamScanner

- प्रायः यह भी देखने में आया है कि कर्मचारी छोटे–छोटे मुदों को भी माननीय न्यायालय मे लेकर जाते है जबकि इन मुदों को कार्यालय सत्र पर ही ठीक किया जा सकता है अतः सम्बन्धित अधिकारियों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे इस प्रकार के मामलों में कर्मचारियों की व्यक्तिगत सुनवाई करे और यदि नियमानुसार कुछ राहत दे सकतें है तो तथाअनुसार कार्यावाही करे ताकि अनावश्यक कोर्ट कार्यवाही से बचा जा सके।
- भविष्य में विजिलेंस जाँच से सम्बन्धित कागजात विजिलेंस विभाग को मुख्य सतर्कता अधिकारी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पचकुला के माध्यम से ही सतर्कता विभाग हरियाणा को सौपेगें।

कार्यवाही की जानी है:– सचिव मुख्यालय, मुख्य सतर्कता अधिकारी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पचकुला

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न कार्य सूचि भी विचार विर्मश किये गऐ तथा इस सम्बन्ध में मुख्य प्रशासक द्वारा निम्न निर्देशित किया गया:–

1. मुख्य प्रशासक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पंचकुला क्षेत्र में बहुत सी सम्पतियाँ उपलब्ध है लेकिन उसको बेचने के लिए कोई भी कार्यावाही सम्पदा अधिकारियों द्वारा नही की जा रही है। इस सम्बन्ध में यह निर्देशित किया गया कि सभी सम्पदा अधिकारी जो भूमि विवाद मुक्त है उसकी लिस्ट तैयार कर लें। नीलामी के लिए मुख्यालय द्वारा पुस्तक तैयार की जा रहीं है तथा अनुसार सम्बधित भूमि की नीलामी के लिए विज्ञापन जनवरी माह के अन्त में निकल जाना चाहिए।

2. माननीय मुख्य प्रशासक महोद्य द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि जो भूमि खाली पडी है जिसमें शरारती तत्वों द्वारा कब्जा कर रखा है तथा प्लॉट धारकों ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, भूमि पर पार्किग की अवैध व्यवस्था कि हुई है। इस सम्बन्ध में यह निर्देशित किया गया कि सभी सम्पदा अधिकारी जहां पर शरारती तत्वों द्वारा अवैध कब्जा किया हुआ है उन लोगों के खिलाफ प्राथामिकी रिर्पाट दर्ज करवाई जावें तथा जिस भी प्लॉट धारकों ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण,की भूमि पर पार्किग की अवैध व्यवस्था कि गई है उन लोगो पर जूर्माना लगाया जावे व राशि वसुल कि जावें।

3. माननीय मुख्य प्रशासक महोद्य द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि शराब के ठेको के पास अहाता के साथ--साथ भी अवैध रूप से (ह.श.वि.प्रा.) की भूमि को ठकेदारों द्वारा प्रयोग में लिया जा रहा है लेकिन सम्बन्धित सम्पदा अधिकारीयों द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं कि जा रही है। इस सम्बन्ध में यह निर्देशित किया गया है कि वह साईट पर जा कर पमाईश करे और जहां पर अवैध रूप से (ह.श.वि.प्रा.) की भूमि को ठकेदारों द्वारा प्रयोग में लिया जा रहा निति अनुसार ब्याज सहित जुर्माना की राशि वसुल करे।

4. मुख्य निर्वाचन आयोग, लोकआयुक्त कार्यालय, व हिपा कार्यालय से सम्बन्धित स्थलों की फाईल पूर्ण तथ्यों सहित मुख्यालय पर कार्यावाही के लिए तुरन्त भेजे।

5. सैक्टर 26 में पंचकुला में बैकट हॉल की भुखण्ड स्थल की जल्द से जल्द नीलामी के लिऐ कार्यावाही करें।

6. जंहा पर (ह.श.वि.प्रा.) के कार्यालय जो कि शहर के मुख्य स्थलों पर चल रहे है व(ह.श.वि.प्रा.) को उन स्थलों की नीलामी करने से आय प्राप्त होगी उन सम्बन्धित कार्यालयों को किसी अन्य सरकारी भवन में भेज दिया जाऐ।

Scanned with CamScanner

7. एच.एम.टी भूमि से सम्बन्धित फाईल को मुख्य नगर योजनकार अधिकारी (ह.श.वि.प्रा.) अपनी विस्तृत रिर्पोट सहित फाईल को जल्द से जल्द मुख्य प्रशासक को निर्णय के लिए भेजेगा।

8. सैक्टर–32 पंचकुला के स्थल को मुख्य नगर योजनकार अधिकारी (ह.श.वि.प्रा.) स्वयं जाँच कर अपनी विस्तृत रिर्पोट योजना सहित जल्दी से जल्दी मुख्य प्रशासक को निर्णय के लिए भेजेगा।

9. सैक्टर–24 पंचकुला के पार्किग स्थल को प्रशासक व सम्पदा अधिकारी स्वयं जाँच कर अपनी विस्तृत रिर्पोट जल्दी से जल्दी मुख्य प्रशासक को भेजेगें।

10. पंचकुला में जहाँ पर अवैध रूप से सैक्टर में टावर स्थापित किऐ हुऐ है सम्बन्धित को तुरन्त नोटिस जारी करें।

11. सभी सम्पदा अधिकारी जरूरी व समयबद्धं कोर्ट केस से सम्बन्धित केसों का अपने निजी सचिव से रजिस्टर तैयार करें व भुगतान से सम्बन्धित जानकारी मुख्य प्रशासक कार्यालय को एक महीना पहले दें।सभी सम्पदा अधिकारी भूमि अर्जन अधिकारी से इस सम्बन्ध में लगातार मींटीग करें

12. जिन पैट्रोल पंप साईट,संस्थागत साईट से बडी राशि (ह.श.वि.प्रा.) द्वारा वसूल की जानी है मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी पंचकूला (ह.श.वि.प्रा.) उनकी पहचान करके प्रशासक महोयद पंचकूला को भेजेगा तथा सम्बन्धित सम्पदा अधिकारी उक्त राशि वसूलने के लिए (ह.श.वि.प्रा.) की नीति अनुसार कार्यावाही करेंगे।

13. सम्पदा अधिकारी अम्बाला द्वारा सूचित किया गया कि मेला ग्राऊड का स्थल विवाद में है इस सम्बन्ध में यह निर्देश दिया गया कि प्रशासक पंचकूला इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यावाही करते हुऐं स्थल को विकसित करने का कार्य करें।

14. सम्पदा अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित शहर में ग्रीन पार्किग बनाऐं।

15. सम्पदा अधिकारियों आय के अतिरिक्त साधन खोजे व कम से कम खर्चा करें।

16. सी.एम.विडों के केसों कि स्थिति दिन प्रतिदिन बढती जा रही है इस लिए आन्तरिक जवाब जल्द से जल्द साईट के ऊपर डाल दें।

17. कोर्ट केस से सम्बन्धित मामलों में प्रशासक,सम्पदा अधिकारी ही मुख्य प्रशासक के साथ विचार विर्मश करेगे।

कार्यवाही की जानी हैः– प्रशासक पचकुला सम्बन्धित सम्पदा अधिकारी पचकुला क्षेत्र मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी पंचकुला। मुख्य नगर योजनकार अधिकारी (ह.श.वि.प्रा.)

अन्त में प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पचकुला द्वारा माननीय मुख्य प्रशासक महोद्य का धन्यवाद किया गया तथा यह आश्वसत किया गया है कि माननीय मुख्य प्रशासक महोद्य द्वारा जो दिशानिर्देश जारी किये गऐं है उनको पूर्ण अनुपालना की जाएगी ।

Scanned with CamScanner

दिनांक 25.06.2020 दोपहर 11:30 बजे श्री पंकज यादव, भा.प्र.से., मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला की अध्यक्षता में जिसको प्रधान सचिव,नगर एवं ग्राम अयोजन विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा भी सम्बोधित किया गया ह.श.वि.प्रा के अधिकारियों व मुख्यालय के अधिकारियों के साथ कि गई बैठक की कार्यवाही।

बैठक में शामिल अधिकारियों की सूचि पताका (क) पर मौजूद है। बैठक में फरीदाबाद क्षेत्र,गुरूग्राम क्षेत्र, हिसार क्षेत्र, और रोहतक क्षेत्र के अधिकारियों ने दृत्य दूरंसलाप (वीडियों कॉन्फ्रेंस) के माध्यम से भाग लिया।

1. मुख्य प्रशासक ह.श.वि.प्रा ने बैठक की शुरूआत में प्रधान सचिव,नगर एवं ग्राम अयोजन विभाग, हरियाणा और अन्य प्रतिभागियों का स्वागत किया। प्रधान सचिव,नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग, हरियाणा द्वारा सभी अधिकारियों को अवगत करवाया गया कि ह.श.वि.प्रा की संपत्तियों का अस्थायी मूल्य लगभग 50,000–60,000 करोड़ रूपये हो सकता है जबकि बाह्य विकास खर्च (ई0डी0सी0) के खाते में देयता लगभग 5000–6000 करोड़ हो सकते है। इसके अतिरिक्त ह.श.वि.प्रा ने विभिन्न बाह्य विकास खर्च (ई0डी0सी0) कार्यों को करने के लिए लगभग 14,000 करोड़ रूपये का बैकों से ऋण लिया है। प्रधान सचिव,नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग, हरियाणा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी क्षेत्रीय प्रशासक अधिग्रहित भूमि के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करें और बाहाय विकास खर्च (ई0डी0सी0) कार्यों और गैर बाहाय विकास खर्च (ई0डी0सी0) कार्यो की व भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे भुगतान की राशि विस्तृत रिपोर्ट दिनांक 10.07.2020 तक प्रस्तुत करें।यदि रिपार्ट समय पर प्राप्त नहीं होती इस के लिए क्षेत्रीय प्रशासक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगे।

2. प्रधान सचिव,नगर एवं ग्राम अयोजन विभाग, हरियाणा ने यह भी निर्देशित किया कि ह.श.वि.प्रा की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए सभी क्षेत्रीय प्रशासकों/सम्पदा अधिकारियों का ध्यान ई–नीलामी के माध्यम से संपत्तियों के बेचने पर होना चाहिए।

Scanned with CamScanner

उन्होंने सुझाव दिया कि पुराने क्षेत्रो के मामले में जहां आवासीय/वाणिज्यिक भूखड उपलब्ध है। केवल 1/3 उपलब्ध भूखडों को बाजार का परीक्षण करके ई–नीलामी में रखा जाना चहिए ताकि ह.श.वि.प्रा को अधिकतम राजस्व प्राप्त हो सकें। नए सैक्टर की दशा मे जो भूखडं अभी तक तैर रहे हैं उन सैक्टर में जहां कुछ अच्छे भूखड़ है उनके विकास कार्यों को निधारित समय में पूर्ण किया जाना चाहिए और उपलब्ध भूखडों में से 1/4 को ई–नीलामी में रखा जाना चाहिए।उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि नीलामी में किसी भी भूखंड को लगाने से पहले सभी नए क्षेत्रों को रेरा अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए। इस संर्दभ मे यदि क्षेत्रीय प्रशासक, सम्पदा अधिकारी महसूस करते है कि हरेरा एक्ट की धारा–83 के तहत मांगी गई जानकारी स्थूल/ज्यादा है तो क्षेत्रीय प्रशासक अपने संस्तुति के साथ पूर्ण विवरण सहित अपनी सिफारिशों को मुख्य प्रशासक ह.श.वि.प्रा को भेजें तदाअनुसार ह.श.वि.प्रा को हरेरा अधिनियम में से छूट पाने के लिए मामला सरकार को प्रस्तुत करें।

3. अन्त में प्रधान सचिव,नगर एवं ग्राम अयोजन विभाग, हरियाणा को एक अन्य बैठक में भाग लेना था इस लिए बैठक में भाग लेने वाले सभी अधिकारियों को स्वास्थ्य से सम्बन्धित शुभकामनाएं दी और सुझाव दिया कि कोविड–19 महामारी की स्थिति के दौरान अपने स्वास्थय का ध्यान रखें।

इसके बाद बैठक की अध्यक्षता मुख्य प्रशासक ह.श.वि.प्रा द्वारा निम्न कार्य सूची की समीक्षा की गई।

कार्यसूची (एंजेड़ा) क्रमांक 1– ई–नीलामी से संबन्धित सम्पतियों का सटीक ब्यौरा (वाणिज्य, आवासीय व संस्थानिक)।

मुख्य प्रशासक ह.श.वि.प्रा ने सभी प्रतिभागियों को सूचित किया कि ह.श.वि.प्रा संपत्तियों की आवासीय भूखडों की ई–नीलामी की दिनांक– 7,8, 9 जुलाई, व 23 जुलाई 2020 निर्धारित कि गई है। वाणिज्यिक स्थलों की ई–नीलामी के लिए दिनांक–14,15 व 16 जुलाई तथा 28,29,30 जुलाई 2020 निर्धारित कि गई है। विज्ञापन दिनांक 25.06.2020 के समाचार पत्रों में जारी किया जा चुका है।

Scanned with CamScanner

इस सम्बन्ध में मुख्य प्रशासक ह.श.वि.प्रा द्वारा सभी क्षेत्रीय प्रशासकों/सम्पदा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि ई–नीलामी के लिए वो स्थल प्रस्तावित किये जाना चाहिए जो सभी तरह अतिक्रमणों से मुक्त हो, विस्थापितों के दावो के निपटान की समीक्षा कि जा चुकी हो, व हरेरा अधिनियम के तहत पंजीकरण किया जा चुका हो।इस सम्बन्ध में यह निर्देशित किया गया की ई–नीलामी से सम्बन्धित सभी प्रस्तावित संम्पतियाँ को ह.श.वि.प्रा . की पी.पी.एम प्रणाली में दर्ज करवाऐं।

5. तदाअनुसार क्षेत्रीय प्रशासकों/सम्पदा अधिकारियों द्वारा भविष्य में ई–नीलामी के लिए प्रस्तावित उपलब्ध संम्पत्तियों का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:–

फरीदाबाद क्षेत्र
शहरी सम्पदा फरीदाबाद

रिहायशी			व्यावसायिक		
सैक्टर न0	भूखडों के आकार की श्रेणी	खाली भूखडों की सख्यां	सैक्टर न0	भूखडों के श्रेणी	खाली भूखडों की सख्यां
2	6 मरले	27	2	बूथ तहखाना के साथ	7
	10 मरले	29		बूथ तहखाना के साथ (किनारे पर)	7
				बूथ	96
15 ए	10 मरले	3	15	क्योस्क (खोखा)	36
8	6 मरले	23			
	10 मरले	34			

गुरूग्राम क्षेत्र
शहरी सम्पदा धारूहेड़ा

रिहायशी			व्यावसायिक		
सैक्टर न0	भूखडों के आकार की श्रेणी	खाली भूखडों की सख्यां	सैक्टर न0	भूखडों के श्रेणी	खाली भूखडों की सख्यां
9	10 मरले–1 विस्थापित भूखड़	7	4	बूथ 2.75X8.75= 22.69 वर्ग मीटर	10
45	6 मरले	14	5	बूथ 2.75X8.75= 22.69 वर्ग मीटर	10
	10 मरले	7	9	बूथ 2.75X8.75= 22.69 वर्ग मीटर	10
51	8 मरले	19	39	बूथ	19

Scanned with CamScanner

रिहायशी			व्यावसायिक		
सैक्टर न0	भूखडों के आकार की श्रेणी	खाली भूखडों की सख्यां	सैक्टर न0	भूखडों के श्रेणी	खाली भूखडों की सख्यां
			45	दो मजिंल दुकान (डी एस एस)	15
27	समूह आवास स्थल (जी0 एच0 एस0)	1	46	दो मजिंल दुकान (डी एस एस)	15
			43	व्यवसायिक परिसर	1

रोहतक क्षेत्र

शहरी सम्पदा रोहतक

रिहायशी			व्यावसायिक		
सैक्टर न0	भूखडों के श्रेणी	खाली भूखडों की सख्यां	सैक्टर न0	भूखडों के श्रेणी	खाली भूखडों की सख्यां
7	10 मरले	115	15	बूथ	40
	8 मरले	4			
	6 मरले .	10			

शहरी सम्पदा बहादुरगढ़

रिहायशी			व्यावसायिक		
सैक्टर न0	भूखडों के श्रेणी	खाली भूखडों की सख्यां	सैक्टर न0	भूखडों के श्रेणी	खाली भूखडों की सख्यां
9	10 मरले	318	6	बुथ	17
			2	दुकान के साथ कार्यालय (एस सी ओं)	45

शहरी सम्पदा पानीपत

रिहायशी			व्यावसायिक		
सैक्टर न0	भूखडों के श्रेणी	खाली भूखडों की सख्यां	सैक्टर न0	भूखडों के श्रेणी	खाली भूखडों की सख्यां
			13 व 17	दो मजिंल दुकान तहखाना के साथ (डी एस एस)	22
				बूथ एक मजिंल	83

Scanned with CamScanner

हिसार क्षेत्र

शहरी सम्पदा हिसार

रिहायशी			व्यावसायिक		
सैक्टर न0	भूखडों के श्रेणी	खाली भूखडों की सख्यां	सैक्टर न0	भूखडों के श्रेणी	खाली भूखडों की सख्यां
14–भाग–2	10 मरले	11	9–11	दुकान के साथ कार्यालय (एस सी ओं)	52
	8 मरले	12		दो मजिंल दुकान (डी एस एस)	65
	6 मरले	15		बूथ	203
	4 मरले	8			
14	10 मरले	4	14 भाग	दुकान के साथ कार्यालय (एस सी ओं)	5
	8 मरले	5		दो मजिंल दुकान (डी एस एस)	5
	6 मरले	7		बूथ	230
	4 मरले .	9		क्योसक(खोखा)	17
			16एवं 17	दुकान के साथ कार्यालय (एस सी ओं)	2
				दो मजिंल दुकान (डी एस एस	6
				बूथ	32

शहरी सम्पदा जीन्द

रिहायशी			व्यावसायिक		
सैक्टर न0	भूखडों के श्रेणी	खाली भूखडों की सख्यां	सैक्टर न0	भूखडों के श्रेणी	खाली भूखडों की सख्यां
6	6 मरले	1	10	दो मजिंल दुकान (डी एस एस)	8
	14 मरले	3			
	10 मरले	8			
	8 मरले	8			

Scanned with CamScanner

शहरी सम्पदा भिवानी

रिहायशी			व्यावसायिक		
सैक्टर न0	भूखडों के श्रेणी	खाली भूखडों की सख्यां	सैक्टर न0	भूखडों के श्रेणी	खाली भूखडों की सख्यां
12 एवं 13	10 मरले	3	13	दुकान के साथ रिहायश (एस0 सी0 एफ0)	2
	14 मरले	4		बूथ	4
	6 मरले	5	सिटी सैन्टर	दुकान के साथ रिहायश (एस0 सी0 एफ0)	8
	10 मरले	4		बूथ	8

शहरी सम्पदा सिरसा

रिहायशी			व्यावसायिक		
सैक्टर न0	भूखडों के श्रेणी	खाली भूखडों की सख्यां	सैक्टर न0	भूखडों के श्रेणी	खाली भूखडों की सख्यां
19 भाग–1	6 मरले	12	सैक्टर;– 19	दो मजिंल दुकान (डी एस एस)	56
20 भाग–1	8 मरले	9	20	दो मजिंल दुकान (डी एस एस)	52

पंचकुला क्षेत्र

शहरी सम्पदा अम्बाला

रिहायशी			व्यावसायिक		
सैक्टर न0	भूखडों के श्रेणी	खाली भूखडों की सख्यां	सैक्टर न0	भूखडों के श्रेणी	खाली भूखडों की सख्यां
8	10 मरले	10	8	बूथ	10
			34	बूथ	10

शहरी सम्पदा जगादरी

रिहायशी			व्यावसायिक		
सैक्टर न0	भूखडों के श्रेणी	खाली भूखडों की सख्यां	सैक्टर न0	भूखडों के श्रेणी	खाली भूखडों की सख्यां
18	6 मरले	10	18	बूथ तहखाना के साथ	10

Scanned with CamScanner

शहरी सम्पदा कुरूक्षेत्र

रिहायशी			व्यावसायिक		
सैक्टर न0	भूखडों के श्रेणी	खाली भूखडों की सख्यां	सैक्टर न0	भूखडों के श्रेणी	खाली भूखडों की सख्यां
शाहाबाद सैक्टर–1	4 मरले	5	10	दुकान के साथ कार्यालय (एस सी ओं)	10
	3 मरले	10			

शहरी सम्पदा करनाल

रिहायशी			व्यावसायिक		
सैक्टर न0	भूखडों के श्रेणी	खाली भूखडों की सख्यां	सैक्टर न0	भूखडों के श्रेणी	खाली भूखडों की सख्यां
33	10 मरले	10			

शहरी सम्पदा पंचकुला

रिहायशी			व्यावसायिक		
सैक्टर न0	भूखडों के श्रेणी	खाली भूखडों की सख्यां	सैक्टर न0	भूखडों के श्रेणी	खाली भूखडों की सख्यां
2	10 मरले	10	6 एम0 डी0 सी0	बूथ	10
23	10 मरले	7			
21	10 मरले	10	20 भाग–2	बैकेटं हॉल,स्कूल,अस्पताल और जी0 एच0 स्थल	

मुख्य प्रशासक ह.श.वि.प्रा द्वारा ई–नीलामी के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश भी जारी किये गएः–

1. सम्पदा अधिकारी फरीदाबाद द्वारा अवगत करवाया गया कि बहुत से संस्थागत भूखड खाली पडें है। मुख्य प्रशासक ह.श.वि.प्रा ने सम्पदा अधिकारी फरीदाबाद को तत्काल पूरा विवरण मुख्यालय को भेजने का निर्देश दिया।

2. सम्पदा अधिकारी ह.श.वि.प्रा जींद ने अवगत कराया कि वाणिज्यिक क्षेत्र के सेक्टर–6,7,8,9,10,11 की कोई भी योजना नहीं बनाई गई है। मुख्य प्रशासक द्वारा प्रशासक ह.श.वि.प्रा हिसार को निर्देशित किया गया कि वे इन क्षेत्रों की योजना बना कर प्रस्तावों को तुरंत मुख्यालय भेजें।

3. सभी प्रशासकों/सम्पदा अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि मुख्यालय पर ई–नीलामी के प्रस्तावों को भेजने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि सम्बन्धित सम्पदा

Scanned with CamScanner

अधिकारी ने सभी स्थलों का मुआयना स्वय कर लिया गया है। सभी स्थल सम्मान रूप से एक पंक्ति मे या एक स्थान पर स्थित है। सभी सम्पदा अधिकारी यह भी सुनिश्चित करे कि प्रस्ताव को भेजने से पहले ये स्थल कम से कम 3 व अधिक से अधिक 9 संपत्तियों का एक समूह मे नीलामी के लिए रखे जाऐं।

4. सम्पदा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कलेक्टर दरों और सम्पतियों से संबंधित अन्य विवरणों की प्रतिलिपि निर्धारित प्रोफार्मा में भरी जाऐं जो पहले ही मुख्य वित नियंत्रक कार्यालय दवारा भेजी जा चुकी है। सभी सम्पदा अधिकारी जब भी मुख्यालय द्वारा ई–नीलामी सम्बन्धित बुलाये जाऐं तो पूरी जानकारी के साथ मूल्य निर्धारण समिति के बैठक में भाग लेगें।

कार्यावाही की जानी है–सभी प्रशासक / सभी सम्पदा अधिकारी / मुख्य वित नियंत्रक

कार्यसूची (एंजेड़ा) क्रमांक 2–अवार्डवार देयताओं का विवरण।

मुख्य प्रशासक ह.श.वि.प्रा ने स्पष्ट किया कि ह.श.वि.प्रा के गठं के बाद सभी अवार्ड के विवरण कि जाँच कि जानी है तथा सबसे पुराने से नवीनतम अवार्डों के लिए लंबित भुगतान का विवरण तैयार किया जाना है।अतः मुख्य प्रशासक ह.श.वि.प्रा द्वारा निम्नअनुसार निम्न लिखित सूचनाएँ एकत्रित करने के लिए निर्देशित किया गया :–

1. धारा–4, अधिसूचना धारा–6, अधिसूचना तारिख, आवार्ड की तिथि, माननीय एडीजे कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि।

2. धारा–4 ,धारा–6 व आवार्ड में कितनी भूमि अधिसूचित की गई है।

3. आवार्ड का निर्धारित मूल्य, माननीय एडीजे कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार माननीय न्यायलयों द्वारा कितनी बढौतरी राशि का मूल्य दिया गया है।

4. कुल कितनी राशि आवार्ड की देय बनती हैं तथा कुल कितनी राशि माननीय एडीजे कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार बढौतरी राशि देय बनती हैं।

Scanned with CamScanner

5. कुल कितनी आवार्ड राशि का भुगतान किया जा चुका है तथा कुल कितनी राशि माननीय एडीजे कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार बढौतरी राशि का भुगतान किया जा चुका है। तथा कुल कितनी राशि का भुगतान विवरण अनुसार देय है।

6. धारा–4 के तहत अधिसूचना के समय से अवार्ड तक भू–स्वामियों का विवरण तैयार करे इस विवरण में यह सुनिश्चित करे कि भू–स्वामीयों का राजस्व विवरण अनुसार कितने वर्ग–मीटर हिस्सेदारी बनती है।

7. उपरोक्त अनुसार यह विवरण तैयार करे कि प्रत्येक भू–स्वामी को कितना रूपया आवार्ड की देय बनती हैं तथा कुल कितनी राशि माननीय एडीजे कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय़ के निर्णय के अनुसार बढौतरी राशि देय बनती हैं। कितनी राशि भुगतान की जा चुकी है और कितनी राशि देय है।

8. सभी सम्पदा अधिकारी यह सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि क्या अवार्ड में ह.श.वि.प्रा की अधिग्रहित भूमि वास्तव में उपलब्ध है या नहीं।

9. मुख्य प्रशासक ह.श.वि.प्रा ने यह भी अवगत करवाया गया कि बढौतरी राशि का भुगतान समय पर न होने के कारण माननीय अदालत द्वारा ह.श.वि.प्रा की सम्पतियां की नीलामी करने सम्बन्धित आदेश पारित कर दिये जाते है। इस सम्बन्ध में सभी सम्पदा अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया है किइस प्रकार के आदेश प्राप्त होने की दशा में सम्बन्धित सम्पदा अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना चाहिए तथा सही तथ्य प्रस्तुत करते हुऐं माननीय न्यायालय से अनुरोध करना चाहिए कि इस प्रकार के निर्णय को वापिस ले।

10. प्रायः यह भी देखने में आया है कि ह.श.वि.प्रा द्वारा जो अधिवक्ता कोर्ट में ह.श.वि.प्रा की तरफ से इजराए करते है तथा समय से पहले दस्ती आदेश की कॉपी भूमि अर्जन अधिकारी व सम्बन्धित सम्पदा अधिकारी को आपूर्ति नही करते ऐसे अधिवक्ता को मुख्य ह.श.वि.प्रा सूची से काली सूची में डालने के लिए मुख्यालय पर प्रस्ताव भेजे। के

Scanned with CamScanner

अनुरोध के साथ इस प्रकार के आदेश वापस लें। आदेश की प्रति समय पर आपूर्ति नही करना।

कार्यावाही की जानी है– सभी प्रशासक/सभी सम्पदा अधिकारी/मुख्य वित नियंत्रक अधिकारी

कार्यसूची (एंजेड़ा) कमांक 3– आवंटीयों की वसूली की स्थिति की समीक्षा।

मुख्य प्रशासक ह.श.वि.प्रा ने बताया कि ह.श.वि.प्रा की वित्तीय स्थिति खराब है राजस्व को बढाने के लिए तुरन्त कदम उठाने की आवश्यकता है । संबन्धित सम्पदा अधिकारियों द्वारा आवंटियों को ह.श.वि.प्रा अधिनियम 17(1) से 17 (4) के नियमित नोटिस जारी किए जाएं और ह.श.वि.प्रा अधिनियम /नियमों/विनियमों और नियमों की धारा 17 के तहत कार्यवाही की जाये। जिसके तहत बकायेदारों के खिलाफ कार्यवाही की जा सके।

कार्यावाही की जानी है– सभी प्रशासक/सभी सम्पदा अधिकारी/मुख्य वित नियंत्रक अधिकारी

कार्यसूची (एंजेड़ा) कमांक 4– ह.श.वि.प्रा द्वारा भूमि के अतिक्रमण को हटाने की स्थिति की समीक्षा बारे।

मुख्य प्रशासक ह.श.वि.प्रा ने यह अवगत करवाया कि सभी शहरी सम्पदाओ में विभिन्न शहरी संपतियों पर शरारती तत्वों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है।इस सम्बन्ध में यह निर्देशित किया गया कि सभी सम्पदा अधिकारी अपनी–अपनी शहरी संपति का सर्वेक्षण करें ताकि यह सुनिश्चित करें कि ह.श.वि.प्रा की भूमि पर कोई अवैध अतिक्रमण तो नहीं किया गया है। यदि कोई अतिक्रमण पाया जाता है तो तुरन्त कानूनी व वसूली की कार्यवाही शुरू की जाये।

कार्यावाही की जानी है– सभी प्रशासक/सभी सम्पदा अधिकारी/प्रवर्तन अधिकारी

कार्यसूची (एंजेड़ा) कमांक 5–विस्थापितों के दावो के निपटान की समीक्षा।

माननीय मुख्य प्रशासक ह.श.वि.प्रा, द्वारा क्षेत्रीय प्रशासको तथा सम्पदा अधिकारियों के साथ कि जिन भूमि मालिकों की जमीन का अधिग्रहण विभिन्न शहरी सम्पदाओं में ह.श.वि.प्रा के सैक्टरों के विकास के लिए किया गया है, उनके विस्थापित भूखंडों के आवंटन बारे विचार विमर्श किया गया।

Scanned with CamScanner

मुख्य प्रशासक ह.श.वि.प्रा. ने क्षेत्रीय कार्यालयों की ओर के बेदखल मुकदमों के लिए अग्रणी दावों के निपटान के बारे में जो कार्यवाही की गई उसमें अप्रसन्ता प्रकट की। मुख्य प्रशासक ह.श.वि.प्रा. ने विशेष रूप से देखा कि ह.श.वि.प्रा. (मुख्यालय) ने दिसम्बर 2019 के बाद से बेदखल दावों के निपटान के लिए कहा और इस सम्बन्ध में एक प्रोफार्मा भी प्रचालित किया गया परन्तु प्रशासकों के साथ साथ सम्पदा अधिकारी ह.श.वि.प्रा. के क्षेत्रीय कार्यालयों से कोई जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है जो एक गंभीर चूक है।

तदाअनुसार सभी क्षेत्रीय प्रशासकों व सम्पदा अधिकारियों ह.श.वि.प्रा. को निर्देश दिये जाते है कि वे ह.श.वि.प्रा. द्वारा जारी किये गये निति–निर्देशों की अनुपालना करते हुऐं जो दावेदार प्राथमिक दृष्टि पर ही विस्थापित भूखडों के सम्बन्ध में अपात्र पाया जाता है आदेश पारित करके और पात्र अपदस्थ दावेदारों के बारे में जानकारी निर्धारित प्रोफार्मा पर साकारात्मक रूप से 10 जुलाई 2020 तक भिजवाऐं।

कार्यावाही की जानी है– सभी प्रशासक/सभी सम्पदा अधिकारी/सहायक प्रशासकीय अधिकारी (शहरी शाखा)।

कार्यसूची मद कमांक 5–अदालतों के मामलों की स्थिति की समीक्षा।

अतिरिक्त निर्देशक विधि परामर्शी द्वारा सी0डब्लयू0पी0 तथा एस0एल0पी0 से सम्बन्धित जिनमें प्रशासकों, ह.श.वि.प्रा द्वारा सम्बन्धित जवाब दाखिल नहीं किया गया नही किया गया है उन सूचियों के बारे में मुख्य प्रशासक ह.श.वि.प्रा. को अवगत करवाया गया। अतिरिक्त निर्देशक विधि परामर्शी द्वारा लम्बित सी0ओ0सी0पी0 की सूचि जिनमें या तो अनुपालन नहीं किया गया या जवाब दाखिल नहीं किया गया इस बारे में भी मुख्य प्रशासक को अवगत करवाया गया।

मुख्य प्रशासक ने क्षेत्रीय प्रशासक, ह.श.वि.प्रा. द्वारा उत्तर न दाखिल करने व सी0ओ0सी0पी0 के परिणामस्वरूप माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन न करने पर गंभीर चिंता व्यक्त की तथा यह निर्देशित किया कि विधिशाखा मुख्यालय द्वारा उठाये गये मुद्दो को तुरन्त जवाब दाखिल करना सुनिश्चित करे।

मुख्य प्रशासक द्वारा आगे निर्देशित किया गया कि क्षेत्रीय प्रशासक, ह.श.वि.प्रा. लम्बित अदालती मामलों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक करेंगें। मुख्य प्रशासक ने विशेष रूप से एक ऐसे

Scanned with CamScanner

मामले की ओर ध्यान दिलाया जिसमें हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के तीन आवासीय भूखंड़ो को नीलाम किया गया था जिसमें हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को भारी नुक्सान हुआ। प्रशासक और सम्पदा अधिकारी द्वारा सारा नुक्सान होने के बाद यह मामला प्रशासक मुख्यालय के ध्यान में लाया गया। अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि इस राज्य की स्थिति चिन्ताजनक और अस्वीकार्य है। उन्होनें सभी प्रशासकों और सम्पदा अधिकारियों, को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया कि किसी भी अदालत द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाता और यदि कोई आदेश होता है तो मामले को दूरभाष पर या ई–मेल के माध्यम से मुख्यालय के ध्यान में लाया जाये।

कार्यावाही की जानी है– सभी प्रशासक/सभी सम्पदा अधिकारी/सहायक जिला विधिपरामर्शी

इसके अतिरिक्त मुख्य प्रशासक द्वारा निम्नलिखित निर्देश भी दिये गये:–

1. मुख्य प्रशासक ह.श.वि.प्रा ने यह अवगत करवाया कि क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा मुख्यालय पर बिना पत्रों को संलग्न किये ई–मेल भेजते है। अतः सभी सम्पदा अधिकारियों व क्षेत्रीय प्रशासकों को यह निर्देशित किया जाता है कि वे मुख्यालय पर अपने सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रशासक के माध्यम से सम्बन्धित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां अधिकारी के नाम और पदनाम के साथ भेजे। मुख्यालय पर भेजने से पहले प्रशासक अपने सभी केसों पर अपनी बहुमूल्य टिप्पणी अवश्य दे।

2. मुख्य प्रशासक ह.श.वि.प्रा द्वारा अर्ध–सरकारी पत्रों के उत्तर न भेजने के लिए अप्रसन्नता दिखाते हुए निर्देश दिये है कि सभी अधिकारियों द्वारा प्रत्येक अर्ध–सरकारी पत्र का उत्तर भेजना सुनिश्चत किया जाये।

3. मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार ह.श.वि.प्रा के सभी अधिकारी हिन्दी भाषा का उपयोग करने का प्रयास करे। सभी टंकन दाखिला आयोजक समयबद्व तरीके से हिन्दी टकंण (टाईपिंग) भी सीखेगें।

कार्यावाही की जानी है– सभी प्रशासक/सभी सम्पदा अधिकारी/सभी मुख्यालय अधिकारी।

बैठक अध्यक्ष और प्रतिभागी के धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।

Scanned with CamScanner